

## नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/743- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास-प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव हाजीपुर में उच्च विद्यालय, गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव हाजीपुर में उच्च विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी)-152/90, दिनांक 2 अप्रैल, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

- उत्तर:** बिन्दु "ए", से लेकर जो गांव सिलानी की आयत संख्या 39 का उत्तर-पश्चिमी कोना है, और उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 39 की उत्तरी-सीमा के साथ-साथ और उसके बाद पूर्व की ओर गांव सिलानी और हाजीपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "बी" तक जहां यह जिला गुड़गांव/फरीदाबाद की सीमा से मिलती हैं।
- पूर्व:** उसके बाद दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर गांव हाजीपुर को पूर्व राजस्व सीमा के साथ-साथ जोकि जिला गुड़गांव/फरीदाबाद की सीमा भी है, बिन्दु "सी" तक जोकि जिला गुड़गांव के गांव हांजीपुर, किरंज और जिला फरीदाबाद के गांव जैन्दापुर की सीमा रेखा है।
- दक्षिण:** उसके बाद पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर गांव हाजीपुर और सिलोनी को दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "डी" तक जो कि गांव सिलानी मनुवास और किरंज की सीमा रेखा है।
- पश्चिम:** उसके बाद उत्तर की ओर गांव सिलानी की पश्चिम राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "ई" तक जो कि गांव सिलानी की आयत संख्या 70 का उत्तर पश्चिमी कोना है, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 70 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर की ओर गांव सिलानी की आयत संख्या 65, 59, 45 और 39 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "ए" तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 22<sup>th</sup> January, 1991

No. JD-91/743- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around High School at Village- Hazipur, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act:-

## ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around High School at Village-Hazipur, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 152/90 dated 2<sup>th</sup> April 1990.

## SCHEDULE

- North:-** Starting from point 'A' which is the north-western corner of rect. No. 39 of village Silani thence towards east along the northern boundary of rect. No.39 and further east along the northern revenue boundary of village Silani and hazipur upto point 'B' where it touches the boundary of District. Gurgaon/ Faridabad.
- East:-** Thence towards south east, south and south west along the eastern revenue boundary of village Hazipur, which is alos the boundary of District Gurgaon/ Faridabad upto point 'C' which is the trijunction of vllage Hazipur, Kiranj of District Gurgaon and village Zaidapur of Dist. Faridabad.
- South:** Thence towards west and south west along the souern revenue boundaries of village Hazipur and Silani upto point 'D' which is the trijunctionof villages Silani, Manuwas and Kiranj.
- West:** Thence towards north along the western revenue boundary of village Silani upto point 'E' which is the north-western corner Rectangle No. 70 of village Silani. Thence towards East along the northern boundary of Rectangle No. 70, thence, towards north along the western boundary of Rec. No. 654, 59, 45 and 39 of village Silani upto point 'A' i.e. the point of start.

DR. TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.